विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 247.82 करोड़ की राशि से अंतर्निहित कर, ब्याज, शास्ति आदि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित 50 कंडिकायें सम्मिलित हैं। विभागों/शासन ने ₹ 115.54 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है, जिसमें से ₹ 34.05 लाख की वसूली की जा चुकी है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

वर्ष के दौरान राज्य शासन की कुल प्राप्तियाँ विगत वर्ष के ₹ 51,854.18 करोड़ के विरूद्ध ₹ 62,604.08 करोड़ थीं । राज्य द्वारा इनका 55 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 26,973.44 करोड़) तथा कर–भिन्न राजस्व (₹ 7,482.73 करोड़) के रूप में वसूल किया गया । शेष 45 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 18,219.14 करोड़) तथा सहायक अनुदान (₹ 9,928.77 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ ।

(कंडिका 1.1.1)

वर्ष 2011–12 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू–राजस्व, मनोरंजन शुल्क, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा खनन प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 6,54,887 प्रकरणों में ₹ 807.47 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला ।

(कंडिका 1.10.1)

II. वाणिज्यिक कर

"वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

- 1,70,881 प्रकरणों से सम्बंधित बकाया राशि ₹ 288.46 करोड़ (1 अप्रैल 2011 को बकाया राशि का 54.44 प्रतिशत लंबित) पाँच वर्ष से अधिक समय से वसूली हेतु लंबित थी।

(कंडिका 2.10.6.3)

- एक पृथक वसूली तंत्र के अभाव के फलस्वरूप बकाया राशि में वृद्धि तथा वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ करने में असामान्य विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.10.7)

- 38 प्रकरणों में, जिनमें ₹ 2.86 करोड़ के कर की बकाया राशि अंतर्निहित थी, वसूली कार्यवाही प्रारम्भ करने में चार वर्ष छः माह तक का विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.10.9)

- राज्य के बाहर राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी.) जारी करने में विलम्ब तथा विभाग द्वारा की गई अपर्याप्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप 31 प्रकरणों में ₹ 28.44 करोड़ देय राशियों की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.11)

- प्रकरण दर्ज करने/शासकीय परिशोधक (ओ.एल) के पास लम्बित प्रकरणों का अनुसरण करने में निष्क्रियता के परिणामस्वरूप तीन प्रकरणों में ₹ 1.50 करोड़ की देय राशियों की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.12)

- विभाग ने छः प्रकरणों में सम्पत्ति कुर्क करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62.12 लाख की देय राशियों की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.13)

- कुर्क सम्पत्तियों को नीलाम करने में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप 12 व्यवसाइयों के प्रकरण में ₹ 7.11 करोड़ की देय राशियों की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.14)

- बीआईएफआर के पास लम्बित प्रकरणों के सम्बंध में, जिनमें ₹ 3.29 करोड़ देय राशि की वसूली अंतर्निहित थी, संशोधित ऋण पुनर्वास योजना (एम.डी.आर.एस.) के प्रस्तुतीकरण की अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की।

(कंडिका 2.10.15)

31 कार्यालयों में 50 प्रकरणों में कर की गलत दर लागू किये जाने के कारण 50 व्यवसाइयों से ₹ 3.67 करोड़ के कर की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 2.11)

31 कार्यालयों में 43 व्यवसाईयों के 44 प्रकरणों में टर्न ओवर का गलत निर्धारण किये जाने के कारण ₹ 3.73 लाख के ब्याज/शास्ति सहित ₹ 2.82 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.12)

15 कार्यालयों में आगत कर छूट की अनियमित अनुमति देने के कारण 15 प्रकरणों में 15 व्यवसाइयों से ₹ 87.18 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 2.13)

37 कार्यालयों में 67 प्रकरणों में 60 व्यवसाइयों के विरूद्ध ₹ 79 लाख के ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 2.04 करोड़ के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ/कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.14)

तीन कार्यालयों में तीन व्यवसाइयों के तीन प्रकरणों में कर योग्य वस्तुओं को गलत तरीके से कर मुक्त मानने के कारण उनके विक्रय पर ₹ 19.96 लाख के कर का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 2.18)

III. राज्य उत्पाद शुल्क

"मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण" पर एक लेखापरीक्षा से पता चला कि :

- शीरे से अल्कोहल के कम उत्पादन पर ₹ 6.86 लाख की शास्ति अधिरोपित नहीं की गई।

(कंडिका 3.5.9.3)

- विभाग द्वारा शोधक प्रतिभूतियों सहित बैंक गारंटी/बंध पत्र प्राप्त किये बगैर अनियमित निर्यात/परिवहन की अनुमति दिये जाने से स्पिरिट/विदेशी मदिरा जिसमें ₹ 875.38 करोड़ का आबकारी शुल्क अंतर्निहित था, असुरक्षित रही। अभिस्वीकृति प्राप्त न की गई मदिरा पर ₹ 20.25 करोड़ के आबकारी शुल्क की वसूली भी नहीं की गई।

(कंडिका 3.5.14)

- मदिरा के निर्यात/परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन पर लायसेंसधारकों पर ₹ 9.90 करोड़ की न्यूनतम शास्ति अधिरोपित एवं वसूल नहीं की गई।

(कंडिका 3.5.16)

- बोतलबंद देशी मदिरा के लेबलों को लायसेंसधारकों द्वारा पंजीकृत नहीं कराया गया था जिस पर ₹ 32.40 लाख की पंजीयन फीस प्राप्त नहीं हुई। लेबलों के पंजीयन के बिना मदिरा का निर्माण अनियमित भी था।

(कंडिका 3.5.20)

- इस तथ्य के बावजूद कि मदिरा दुकानों के लायसेंसधारकों ने निर्धारित समय के भीतर ₹ 1.20 करोड़ की पाक्षिक लायसेंस फीस/वार्षिक लायसेंस फीस की अंतिम किस्त जमा नहीं की थी, 143 लायसेंसधारकों को मदिरा प्रदाय की गई।

(कंडिका 3.5.21)

- सैन्य केन्टीन थोक लायसेंस धारक से सैन्य केन्टीन फुटकर लायसेंसधारकों को विदेशी मदिरा के प्रदाय पर ₹ 2.08 करोड़ की आबकारी शुल्क कम आरोपित किया गया।

(कंडिका 3.5.22)

IV. वाहनों पर कर

17 कार्यालयों में 1,652 वाहनों के सम्बंध में ₹ 7.16 करोड़ के कर एवं शास्ति की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 4.7)

छः कार्यालयों में व्यवसाइयों से ₹ 1.82 करोड़ के व्यापार शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 4.9)

V. भू–राजस्व

मई 2010 में ग्वालियर विकास प्राधिकरण को दी गई शासकीय भूमि की प्रीमियम तथा भू–भाटक के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 7.79 करोड़ के राजस्व का कम आरोपण/प्राप्ति हुई।

(कंडिका 5.6)

अक्टूबर 2006 तथा सितम्बर 2011 के मध्य 15 तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहीत ₹ 2.43 करोड़ का भू–राजस्व तथा उपकर कोषालय में मुख्य शीर्ष '0029' भू–राजस्व में जमा न करके पंचायत निधि में जमा किया गया था।

(कंडिका 5.7)

दिसम्बर 2010 में कलेक्टर द्वारा ग्राम दाही की 0.420 हैक्टेयर शासकीय भूमि आरोपणीय प्रीमियम ₹ 1.01 करोड़ तथा भू–भाटक ₹ 5.04 लाख प्रति वर्ष के विरूद्ध, कोई प्रीमियम तथा भू–भाटक प्रभारित किये बिना आवंटित की गई थी।

(कंडिका 5.9)

चार कलेक्टर कार्यालयों में फरवरी 2007 तथा सितम्बर 2011 के मध्य निर्णीत 18 व्यपवर्तन प्रकरणों में व्यपवर्तन लगान तथा प्रीमियम के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 21.12 लाख के प्रीमियम तथा व्यपवर्तन लगान की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 5.12)

VI. मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

- 25 कार्यालयों में 566 प्रकरणों में बाजार मूल्य का गलत निर्धारण/निर्णीत न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.62 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 6.7)

- पट्टा विलेखों/पट्टा सह विक्रय विलेखों पर ₹ 1.28 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.8)

- छः कार्यालयों में 40 प्रकरणों में दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 92.54 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.10)

- दो कार्यालयों में 29 प्रकरणों में विलेखों का पंजीयन न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 35.36 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 6.11.1 तथा 6.11.2)

VII. अन्य कर प्राप्तियाँ

- सिनेमा गृहों के 17 संचालकों पर ₹ 5.05 लाख के मनोरंजन शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 7.4)

- सात उपभोक्ताओं के प्रकरणों में खानों पर शुल्क की गलत दरें लागू किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 35 लाख के विद्युत शुल्क की कम वसूली हुई।

(कंडिका 7.10)

VIII. खनन प्राप्तियाँ

- संविदा राशि का पुनरीक्षण न किये जाने के कारण ₹ 3.22 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 8.6)

- 12 कार्यालयों में 48 खनन पट्टाधारकों से ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर के रूप में ₹ 70.53 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 8.8)